

07.10.2022:- आज यह पेशी मे आई। अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा ने निवेदन किया कि वादी पत्र मे निर्णय हो चुका है। मुल वादपत्र मे निर्णय होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाकर मूलवाद के साथ सलग्न किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

